

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No. 2021 /

(Bank Case)

Manual no- 105/2021

इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पता- एम-62-63 फर्स्ट फ्लोर कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

- प्रार्थी

बनाम

1. पंकज कुमार प्रोपराईटर मैसर्स पंकज स्टोन इण्डस्ट्रीज (ऋणी / बंधककर्ता)
पता: सी-545, इन्द्रा विहार, कोटा, राजस्थान
दुसरा पता: जी-320ए, रोड नं. 6, आईपीआईए, कोटा
2. अलमबाई
पता: सी-545, इन्द्रा विहार, कोटा, राजस्थान

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित:-

श्री अतुल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 20-10-2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी " इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पता एम-62-63 फर्स्ट फ्लोर कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 20.06.2017 को 31,65,000/- रुपये (अक्षरे इकत्तीस लाख पेषठ हजार रुपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति प्लॉट नं० सी-545, इन्द्रा विहार, कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 116.13 वर्गमीटर है। चतुःसीमा पूर्व में- पूर्व में प्लॉट नं. 554, पश्चिम में- प्लॉट नं. 556, उत्तर में-रोड, दक्षिण में- प्लॉट नं. 564 है को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31.03.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में रुपये 36,95,063/- (अक्षरे रुपये छत्तीस लाख पचानवे हजार तिरेषठ मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.03.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 19.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "दैनिक नवज्योति" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 14.05.2021 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के

2
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)